

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1710.74	2386.71	4097.45	3226.00	1695.54	4921.54	1525.00	1703.16	3228.16	2135.66	789.70	2925.36	
पूँजी	29.32	75.42	104.74	11.00	17.85	28.85	12.00	43.94	55.94	3.35	45.99	49.34	
जोड़	1740.06	2462.13	4202.19	3237.00	1713.39	4950.39	1537.00	1747.10	3284.10	2139.01	835.69	2974.70	
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2052	...	151.04	151.04	...	177.58	177.58	...	196.72	196.72	...	206.50	206.50
	4059	8.23	...	8.23	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	4070	...	0.03	0.03	...	0.70	0.70	...	0.70	0.70	...	1.50	1.50
	जोड़	8.23	151.07	159.30	1.00	178.28	179.28	2.00	197.42	199.42	2.00	208.00	210.00
2. नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो	2052	...	24.63	24.63
	3601	...	4.31	4.31
	4059	...	5.76	5.76
	4070	...	1.91	1.91
	जोड़	...	36.61	36.61
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी													
3. जनगणना	3454	1560.45	1144.56	2705.01	2754.00	1359.62	4113.62	1203.91	1347.64	2551.55	1816.65	290.76	2107.41
	4070	21.09	...	21.09	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	1.35	...	1.35
	जोड़	1581.54	1144.56	2726.10	2764.00	1359.62	4123.62	1213.91	1347.64	2561.55	1818.00	290.76	2108.76
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
4. राजभाषा	2070	5.01	28.76	33.77	20.00	32.84	52.84	18.98	33.19	52.17	15.00	40.61	55.61
5. आसूचना ब्यूरो	2070	12.99	903.25	916.24
	4059	...	28.67	28.67
	4070	...	32.35	32.35
	जोड़	12.99	964.27	977.26
6. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	12.66	12.66	...	16.03	16.03	...	21.59	21.59	...	139.03	139.03
7. नागरिक सुरक्षा	2070	0.20	5.23	5.43	2.00	6.95	8.95	1.11	6.22	7.33	0.61	7.40	8.01
	3601	44.75	8.34	53.09	128.00	10.00	138.00	137.52	10.00	147.52	74.39	12.00	86.39
	4059	...	0.44	0.44	1.00	1.00	...	1.00	1.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
4070	...	0.32	0.32	...	0.03	0.03	...	0.12	0.12	...	1.02	1.02	
जोड़	44.95	14.33	59.28	130.00	16.98	146.98	138.63	17.34	155.97	75.00	21.42	96.42	
8. होम गार्ड	3601	...	41.15	41.15	...	39.39	39.39	...	38.39	38.39	...	39.00	39.00
9. अन्य मर्दे	2013	...	0.05	0.05	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50	...	1.00	1.00
2070	4.27	39.01	43.28	22.00	45.49	67.49	9.48	42.98	52.46	9.01	46.99	56.00	
2250	...	0.65	0.65	...	1.14	1.14	...	0.43	0.43	...	0.91	0.91	
3601	...	3.69	3.69	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	
4059	...	1.05	1.05	...	10.00	10.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	
4070	...	1.31	1.31	...	2.51	2.51	...	2.51	2.51	...	2.86	2.86	
4216	...	3.41	3.41	...	4.61	4.61	...	4.61	4.61	...	4.61	4.61	
जोड़	4.27	49.17	53.44	22.00	70.25	92.25	9.48	91.53	101.01	9.01	96.87	105.88	
10. राष्ट्रीय जांच एजेंसी	2070	...	19.41	19.41	
4070	...	0.17	0.17	
जोड़	...	19.58	19.58	
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	67.22	1129.92	1197.14	172.00	175.49	347.49	167.09	202.04	369.13	99.01	336.93	435.94	
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	83.07	...	83.07	300.00	...	300.00	154.00	...	154.00	220.00	...	220.00
12. वास्तविक वसूलियां	2052	...	-0.03	-0.03	
कुल जोड़	1740.06	2462.13	4202.19	3237.00	1713.39	4950.39	1537.00	1747.10	3284.10	2139.01	835.69	2974.70	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	32052	8.23	...	8.23	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	1581.54	...	1581.54	2764.00	...	2764.00	1213.91	...	1213.91	1818.00	...	1818.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	67.22	...	67.22	172.00	...	172.00	167.09	...	167.09	99.01	...	99.01
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	83.07	...	83.07	300.00	...	300.00	154.00	...	154.00	220.00	...	220.00
जोड़	1740.06	...	1740.06	3237.00	...	3237.00	1537.00	...	1537.00	2139.01	...	2139.01	

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सचिवालय व्यय के लिए है। इसमें गृह मंत्रालय (मुख्य)/सचिवालय सुरक्षा संगठन/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/शाखा सचिवालय, कोलकाता, राजभाषा विभाग, बन्दोबस्त विंग, शत्रु-संपत्ति अभिरक्षा कार्यालय, मुम्बई एवं कोलकाता तथा विभागीय लेखा संगठन के लिए है।

3. **जनगणना:** इसमें अबादी संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने तथा दस वर्षीय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए प्रावधान शामिल हैं। इस संगठन की अन्य गतिविधियां सामाजिक-आर्थिक, जन सांख्यिकीय, मानव जातीय तथा भाषाई सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों और जनगणना आंकड़ों के मानचित्रिय चित्रण से संबंधित हैं। योजनागत प्रावधान चालू स्कीमों के लिए है।

4. **राजभाषा:** इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

6. **केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** इसमें केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन, जिनमें नागरिकता अधिनियम और विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्य अधिनियमों एवं विनियमों का प्रशासन शामिल है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है।

7. **नागरिक सुरक्षा:** भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता चुनिंदा स्थानों तथा महत्वपूर्ण संयंत्रों/संस्थापनों तक ही सीमित है जो उन्हें उनके सामरिक एवं रणनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती है। थोड़े से स्थायी स्टॉफ को छोड़कर, नागरिक सुरक्षा, मुख्यतः स्वैच्छिक आधार पर आयोजित की जाती है। इस प्रावधान में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय और आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान, राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान करके राज्यों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढीकरण तथा राज्यों में नागरिक सुरक्षा के नवीकरण जैसी योजनाओं के लिए भी है।

8. **होमगार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक व्यापक पैटर्न तथा नीति के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित एक स्वयंसेवी बल है। होमगार्ड का उपयोग राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करने में अपने-अपने पुलिस बलों की सहायता के लिए किया जाता है। बार्डर विंग होमगार्ड, पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ तैनात किए जाते हैं। इस प्रावधान में चुनाव ड्यूटियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए गए होमगार्ड पर होने वाला व्यय भी शामिल है।

9. **अन्य मदें:** इसमें क्षेत्रीय परिषद, अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, विशेष जांच आयोग, मानवाधिकार आयोग, आई सी पी ओ इन्टररपोल तथा क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फण्ड संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए योगदान, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस फण्ड, के उन्नयन तथा एन सी डी सी का एक उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने के लिए प्रावधान शामिल है।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान निर्धारित है।